संख्या-72/2023/।/326650/2023/001-71-2002-20-2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 जून, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-2024 में संस्थान परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन रिसर्च स्टूडेन्टा हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण पर 05 प्रतिशत रोकी गयी अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल अभि0/एन0बी0-83/2012/209/2023, दिनांक 25.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में संस्थान परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन रिसर्च स्टूडेन्ट हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण पर 05 प्रतिशत रोकी गयी अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- संस्थान के रिसर्च स्टूडेन्ट हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण कार्यो की पुनरीक्षित प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-13/2020/192/71-2-20-पी-34/2012, दिनांक 05 फरवरी, 2020 द्वारा रू0 2581.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 2452.67 लाख की धनराशि अवमुक्त जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0	**शासनादेश संख्या/दिनांक**	**अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)**
1	1068(1)/71-2-2013, दिनांक 31-01-2013	275.48
2	1618(1)/71-2-2014, दिनांक 29-05-2014	400.00
3	4189(1)/71-2-2014, दिनांक 04-12-2014	84.00
4	97/2015/3432/71-2-2015-पी-34/2012, दिनांक 06.11.2015	250.00
5	1073/71-2-2016-पी-34/2012, दिनांक 31-03-2016	200.00
6	108/2016/3338/71-2-2016-पी-34/2012, दिनांक 26.08.2016	98.95
7	13/2020/192/71-2-2020-पी0-34/2012, दिनांक 05-02-2020	299.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	04/2021/4518/71-2-2020-पी0-34/2012, दिनांक 01-01-2021	387.26
9	91/2021/I/89720/2020/71-2-2020-पी0-34/2012,दिनांक 16-08-2021	457.32
	योग-	2452.67

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में रिसर्च स्टूडेन्टस हेतु हास्टल (100 नग फ्लैट्स) के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष निर्माण पर 05 प्रतिशत रोकी गयी अवशेष धनराशि रू0 129.08 लाख अवमुक्त (रूपया एक करोड उन्तीस लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
4) कार्यदायी संस्थान को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
5) प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान द्वारा उक्त का निर्माण कार्य/स्थापना, सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
8) कार्यदायी संस्था को 03 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 03-03 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।
9) प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर निदेशक, संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन किया जायेगा।

11) शासनादेश संख्या-13/2020/192/71-2-2020-पी0-34/2012, दिनांक 05-02-2020 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,29,08,000 (रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

संख्या-72/2023/।/326650/2023/001-71-2002-20-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in